राजस्थान सरकार
वित्त (नियम) विभाग

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक :– प.3(56)वित्त/नियम/2021 जयपुर, दिनांक:– 13 SEP 2021

13 SEP 2021

सचिव,
राजस्थान विधानसभा सचिवालय,
जयपुर।

विषयः– प्रदेश में प्रबोधकों एवं शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण स्थिरीकरण किये जाने एवं सुधार के नाम पर कमेटी गठित किये जाने से कार्मिकों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा माननीय श्री राजेन्द्र राठौड (138), सदस्य राजस्थान विधानसभा।

संदर्भः– आपका अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ 8(44)सदन/विस./2021/6/131 /696/693 दिनांक 01.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र के क्रम में प्रदेश में प्रबोधकों एवं शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण स्थिरीकरण किये जाने एवं सुधार के नाम पर कमेटी गठित किये जाने से कार्मिकों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा माननीय विधायक श्री राजेन्द्र राठौड (138), सदस्य विधानसभा से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तथ्यात्मक टिप्पणी संलग्न कर निवेदन है कि उक्त ध्यानार्कषण प्रस्ताव की ग्राहयता स्वीकार नही कराये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त(बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन (प्रभारी मंत्री, वित्त)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट)।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (समन्वय)।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,–।

Room No. 5211, Second Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227868 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail - dsfrules@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

माननीय श्री राजेन्द्र सिंह राठौड (138) सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रदेश में प्रबोधकों एवं शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण स्थरीकरण किये जाने एवं सुधार के नाम पर कमेटी पे कमेटी गठित किये जाने से कार्मिकों को हो रहे नुकसान के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाबत तथ्यात्मक स्थिति।

माननीय श्री राजेन्द्र सिंह राठौड (138) सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा यह उल्लेख किया है कि :–

"वर्ष 1999, 2000 व 2001 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षण कार्य को बढावा दिये जाने के उद्देशय से लगभग 23 हजार 500 राजीव गांधी पाठशाला खोलकर इनमें 1200 रूपये के अल्प मानदेय पर लगभग 23 हजार 500 पैराटीचर नियुक्त किये गये थे। दिनांक 1 अक्टूबर 2008 को तत्कालीन भाजपा सराकर ने 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले सभी पैरा टीचर्स को नया कैडर बनाकर लगभग 23 हजार 500 प्रबोधकों को तृतीय श्रेणी अध्यापकों के समकक्ष नियुक्ति प्रदान की तथा सभी लाभ तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समान दिये गये। वर्ष 2007–08 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 35 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी नियुक्ति प्रदान की गई थी जिनका वेतनमान छठे वेतन आयोग के अनुसार इन सभी का प्रारम्भिक मूल वेतन 8370+2800 को जोडते हुए प्रोबेशन पूरा होने के पश्चात 11,170 पर फिक्सेशन किया गया। वर्ष 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केन्द्र के समकक्ष वेतनमान देने के लिए श्रीमती कृष्णा भटनागर कमेटी का गठन किया गया जिसकी अनुशंषा पर प्रबोधक/शिक्षक का प्रारिम्भक मूल वेतन 9300+3600=12900 तय किया था। जो 01.01.2006 से 30.06.2013 तक नोशनल लाभ देना था और 01.07.2013 को वास्तविक लाभ देय था लेकिन वित्त विभाग ने रिवाईज्ड पे रूल 2008 के नियम 28 के तहत उपरोक्त हजारों कर्मचारियों का गलत फिक्सेशन कर दिया है। रिवाईज्ड पे–रूल 2008 के नियम 5(2) व 10 के अनुसार 01.01.2006 के बाद भर्ती कार्मिकों पर नियम 28 लागू नहीं होता है। वित्त विभाग द्वारा अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कमेटी पे कमेटी गठित किये जा रही है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में वित्त विभाग की तथ्यात्मक टिप्पणी निम्नानुसार है:–

1. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 दिनांक 01.09.2006 से अधिसूचना दिनांक 12.09.2008 के द्वारा लागू करने के पश्चात प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा संख्या प.06(58)प्रसु/अनु–3/2008 दिनांक 19.09.2008 के द्वारा श्रीमती कृष्णा भटनागर, सेवानिवृत आईएएस की अध्यक्षता में वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति का गठन किया गया था। इस समिति

Scanned with CamScanner

की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा 2013–14 के बजट में की गई थी। कृष्णा भटनागर समिति का गठन वर्ष 2013 में नहीं किया गया था।

2. उक्त समिति की रिपोर्ट का लागू करने के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 में दिनांक 01.07.2013 से प्रबोधक एवं अध्यापक के रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे में वेतन निम्नानुसार संशोधन किया गया था:–

दिनांक 30.06.2013 तक रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे	**दिनांक 01.07.2013 से रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे**
रनिंग पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2800	**रनिंग पे बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 3600**

3. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 की अनुसूची V में सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक एवं प्रबोधक को कमशः दिनांक 01.01.2006 या इसके पश्चात् तथा दिनांक 01.07.2013 या इसके पश्चात् प्रोबेशन ट्रेनी अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रारम्भिक वेतन निम्नानुसार देय किया गया है:–

दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 तक			दिनांक 01.07.2013 या इसके पश्चात		
ग्रेड पे	रनिंग पे बैण्ड में वेतन 5200–20200	प्रारम्भिक वेतन (1+2)	ग्रेड पे	रनिंग पे बैण्ड में वेतन 9300–34800	प्रारम्भिक वेतन (4+5)
1	2	3	4	5	6
2800	8370	11,170/–	3600	9300/–	12,900/–

4. श्रीमती कृष्णा भटनागर, सेवानिवृत आईएएस की अध्यक्षता में गठित वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति की सिफरिश के आधार पर प्रबोधक एवं अध्यापक की ग्रेड पे रू. 2800 से रू. 3600 की गई थी। यह संशोधन दिनांक 01.07.2013 से प्रभावित किया गया था।

5. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में दिनांक 01.07.2013 से संशोधित रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे में वेतन निर्धारण उक्त नियमों में अधिसूचना दिनांक 06.04.2023 से जोडे गये नियम 28 के अनुसार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

6. प्रबोधक एवं अध्यापक का रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे दोनों में संशोधन हुआ है। उक्त पदों का रनिंग पे बैण्ड 5200–20200 से 9300–34800 तथा ग्रेड पे 2800 से 3600 की गई थी।

Scanned with CamScanner

7. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या *प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट–I दिनांक 06.04.2013* से सम्मिलित किया गया नियम 28 दिनांक 01.07.2013 से पुनः संशोधित रनिंग पे बेण्ड एवं ग्रेड पे के समस्त प्रकरणों में लागू होता है। नियमों में कोई विसंगति नहीं है।

8. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में प्रबोधक/अध्यापक का अधिसूचना क्रमांक *प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट–I दिनांक 06.04.2013* के द्वारा दिनांक 01.07.2013 से रनिंग पे बेण्ड एवं ग्रेड पे संशोधित किया गया है, अतः दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 तक का काल्पनिक वेतन निर्धारण किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

9 राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 को वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या *प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट–II दिनांक 06.04.2013* के द्वारा दिनांक 01.09.2006 के स्थान पर दिनांक 01.01.2006 से लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 30.06.2013 तक का एरियर देय नहीं होने का प्रावधान नियम 27 में किया गया।

10. प्रशासनिक विभाग (पंचायती राज विभाग/शिक्षा विभाग) द्वारा इसलिए दिनांक 01.07.2013 से पूर्व प्रोबेशन ट्रेनी अवधि पूर्ण करने वाले प्रबोधक/अध्यापक का संशोधित रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे में दिनांक 01.07.2013 से वेतन निर्धारण किये जाने के संबंध में राय हेतु कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

अतः माननीय विधायक श्री राजेन्द्र राठौड (138), सदस्य विधानसभा से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तथ्यात्मक टिप्पणी के आधार पर उक्त ध्यानार्कषण प्रस्ताव की ग्राहयता स्वीकार नही कराये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करावें।

☆☆☆

Scanned with CamScanner